

रिपोर्टेबल

उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील नम्बर 2784-2785/2009

बूंदी जिला पेट्रोल पम्प डीलर्स एसोसियेशन, बूंदी

... अपीलार्थी

बनाम

संयोजक बूंदी जिला पेट्रोल पम्प मजदूर संघ (डी.एम.एस.)

... प्रतिवादी

निर्णय

अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश

1- यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के आदेश  
दिनांक 21.11.2005 डी0बी. सिविल स्पेशल अपील नम्बर  
449/1999 से व्यथित होकर पेश की गयी जिसमें राजस्थान  
उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर

अपील एवं निगरानी याचिका में आदेश दिनांक 10.04.2007 द्वारा अपीलार्थी द्वारा निगरानी याचिका खारिज कर दी।

2. इस अपील में उठे विवाद के गुण जानने के लिये संक्षेप में तथ्य निम्न अनुसार उल्लेखित किये जा रहे हैं -

3. दिनांक 26.7.1998 राज्य सरकार द्वारा एक निर्देश अंतर्गत धारा 10(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 औद्योगिक प्राधिकरण, कोटा को तय करने बावत निम्नलिखित विवाद भेजा गया।

“क्या सचिव, जिला पेट्रोल पम्प मजदूर संघ द्वारा उठायी गयी मांगे प्रबंधक, माहेश्वरी आटोमोबीज कॉर्पोरेशन जिला बूंदी क्या उचित एवं वैध है ? यदि हाँ तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है।”

#### मांगे

1. राशि का अंतर जो सरकार द्वारा घोषित किया गया एवं वास्तविक राशि जो प्रबंधन द्वारा संदायी की गयी, जो अभी तक अदा नहीं की गयी, क्या उसे स्थगित राशि मान ली जावे एवं उसे कर्मकारों को अनुग्रह राशि के रूप में संदाय कर दी जाये एवं यह अंतर 20 प्रतिशत से अधिक वेतन जो कर्मकारक को प्राप्त होता है।

2. सभी कर्मकारों को 15 दिन का आकस्मिक छुट्टी दी जावे।
3. राशि अवकाश एवं दूसरे उत्सवों के लिये 11 दिन की छुट्टी प्रतिवर्ष दी जावे एवं 1986 में कर्मकारों द्वारा उक्त दिनों पर कार्य करने पर उन्हें तीन गुणा वेतन संदाय किया जाये।
4. कर्मकारों को उनके कार्य की प्रकृति के अनुसार अभीहित किया जाये जैसे कि, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल, ताकि उन्हें उनके वेतन का संदाय उस श्रेणी के अनुसार किया जाये।
5. सभी कर्मकारों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जावे।
6. सभी कर्मकारों को महंगाई भत्ता मूल्य सूचकांक के अनुरूप दिया जाये।
7. सभी कर्मकारों को किराया भत्ता 10 प्रतिशत उनके वेतन के अनुसार दिया जाये।
8. निःशुल्क दवा सभी कर्मचारियों को दी जाये एवं निर्धारित चिकित्सीय भत्ता दिया जावे।
9. कर्मचारियों का भविष्य निधि योजना तैयार की जाये एवं उनके वेतन से उक्त कटौती की जाये।

10. शिक्षा शुल्क कर्मकारों के बच्चों की पढ़ाई का संदाय किया जावे। 2 सूती वर्दी प्रतिवर्ष एवं 1 ऊनी वर्दी कर्मकारों को दी जाये।

4. औद्योगिक प्राधिकरण, कोटा द्वारा अपने अवार्ड दिनांक 31.7.1995 (प्रदर्श पी-2) द्वारा उक्त निर्देशन गुण के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में तय किया गया, हालांकि यह निर्विवादित है कि औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा उक्त निर्देशन अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय किया गया। पैरा संख्या 4 उक्त अवार्ड की, प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी (वहां पर प्रतिवादी) प्रस्तुत नहीं हुए जबकि उन्हें नोटिस की तामील हो चुकी थी एवं उनके द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही चालू की गयी।

5. अपीलार्थी को जब उक्त अवार्ड का ज्ञात हुआ, उनके द्वारा एक रिट याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ (डब्ल्यू.टी. नम्बर 5294/1996)। एकल पीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.09.1997 द्वारा उक्त रिट याचिका स्वीकार की गयी एवं अवार्ड को अपास्त किया गया।

6- प्रतिवादी द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर एक रिट (अपील नम्बर 449/199) द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्डपीठ में दायर की गयी। आक्षेपित आदेश द्वारा खण्डपीठ जो प्रतिवादी द्वारा दायर की गयी उसे स्वीकार कर लिया गया एवं एकल खण्डपीठ का निर्णय अपास्त किया गया। आक्षेपित

आदेश अपीलार्थी के अनुपस्थिति में पारित किया गया क्योंकि उनके द्वारा कोई उपस्थिति दर्ज नहीं करायी गयी (अपील में प्रतिवादी) जब खण्डपीठ द्वारा अपील सुनी गयी। उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी द्वारा निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी, जिससे उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया।

7. उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों से व्यथित होकर, जो रिट अपील एवं निगरानी याचिका में, अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में अपील इस न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका प्रस्तुत की गयी।

8. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर एवं लिखित प्रस्तुति प्रतिवादी के द्वारा, हम इस अपील को मंजूर करने के लिये प्रवृत्त हैं, आक्षेपित आदेश को खारिज करते हैं एवं एकपक्षीय आदेश औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा एवं पुनः प्रेरणा के लिये औद्योगिक प्राधिकरण को भेजते हैं ताकि वह इस निर्देशन गुण व अवगुण कर न्यायानुसार तय करे दोनों पक्षों को समुचित अवसर करने के पश्चात्।

9. पुनः प्रेरणा के निम्न आधार हैं- पहला, यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी को समुचित अवसर उक्त निर्देशन को वाद विवाद

करने का औद्योगिक प्राधिकरण में नहीं मिला एवं उनके विरुद्ध एकपक्षीय अवार्ड पारित किया गया। दूसरा, उनके अनुपस्थिति का जो कारण औद्योगिक प्राधिकरण में बताया गया वह पर्याप्त कारण है एवं अपीलार्थी को अवसर दिये जाने उक्त निर्देशन का गुण व अवगुण पर निस्तारण आवश्यक है। तीसरा, अपीलार्थी का यह केस नहीं है कि वह उपस्थित तो हुआ और उसके बाद वह अनुपस्थित रहा एवं प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही खोली गयी। दूसरे शब्दों में प्रकरण के शुरुआत से ही, अपीलार्थी को केस लड़ने का समुचित अवसर नहीं मिला क्योंकि उनके कार्यवाहियों का ज्ञान नहीं था। चौथा, हर पक्षकार को वाद में यह अधिकार है कि वह अपना वाद, गुण व अवगुण पर वाद-विवाद करे, कानून में दिये गये अपवादों का विषय होते हुए, हालांकि जहां तक अपीलार्थी का सम्बन्ध है इस तरह का अपवाद हमारी सूचना में नहीं आया, जो कि उसे उक्त वाद विवाद निर्देशन का गुणों पर हकदार ना बनाता हो, आखिर में सारभूत न्याय की यह आवश्यकता है कि वह इस वाद में दोनों पक्षों को समुचित अवसर गुण व अवगुण पर वाद तय करे।

10. इन निम्न बताये कारणों के अनुसार, हम यह अपील स्वीकार करते हैं कि, खण्डपीठ द्वारा आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं, एकल पीठ के निर्णय एवं औद्योगिक

प्राधिकरण के निर्णय एवं उक्त निर्देशन को औद्योगिक प्राधिकरण को वापिस लौटाते हैं। अपीलार्थी को यह अवसर प्रदान करते हैं कि वह अपने लिखित कथन प्रतिवादी के कथनों को पेश करने की अनुमति देते हैं। पक्षकारों को यह अधिकार देते हैं कि वह अपने कथनों में संशोधन कर सके, कागजात पेश कर सके एवं मौखिक साक्ष्य अपने वाद के समर्थन में पेश कर सके।

11. औद्योगिक प्राधिकरण उक्त निर्देशन को 6 माह के भीतर जब दोनों पक्षकार उपस्थित हो जाये, कानूनन तय करेगी एवं उच्च न्यायालय द्वारा जो अवलोकन किया गया उसे अप्रभावित रहेगी।

12. पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह औद्योगिक प्राधिकरण, कोटा को दिनांक 5.3.2019 को हाजिर होंगे एवं इस निर्णय की कॉपी प्राधिकरण को पेश करेंगे ताकि वह इस वाद को ऊपर दिये गये विवेचना के अनुसार निस्तारित करे।

अभय मोहन सप्रे

न्यायाधीश

दिनेश माहेश्वरी

न्यायाधीश

नई दिल्ली

12, फरवरी 2019

अस्वीकरण - इस निर्णय की अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिये उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। हर अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिये उक्त निर्णयों का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं क्रियान्वयन में भी इसी को उपयोग में लिया जायेगा।